

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक:प.1(3)गृह-7 / 2018-10811

जयपुर, दिनांक-ईहस्ताक्षरित

:: आज्ञा ::

राजस्थान नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा सेवा नियम, 1976 के नियम 23(9) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 13.11.2025 को आयोजित समीक्षा बैठक की अभिशंषा के आधार पर वर्ष 2018-19, 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24 की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर समादेष्टा के पद पर उनके नाम के सम्मुख रिक्ति दिनांक से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2018-19

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	श्री नवनीत जोशी	सामान्य	01.04.2018
2.	श्री विकास लाम्बा	सामान्य	01.04.2018
3.	श्रीमती स्वाति शर्मा	सामान्य	01.04.2018
4.	श्री प्रणय जसोरिया	सामान्य	01.04.2018
5.	श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़	सामान्य	01.04.2018
6.	श्री अनवर एच.खान	सामान्य	01.04.2018
7.	श्री महेन्द्र सिंह (SC)	अनु0 जाति	01.04.2018

वर्ष 2020-21

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	श्री रवि व्यास	सामान्य	01.11.2020

वर्ष 2022-23

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	श्रीमती सुमन ढाका	सामान्य	01.04.2022
2.	श्री राजेन्द्र कुमार	सामान्य	01.04.2022



क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	श्री प्रदीप कुमार (अनु0 जाति)	अनु0 जाति	01.04.2023
2.	श्री चन्द्रभान बुनकर (अनु0 जाति)	अनु0 जाति	01.04.2023
3.	श्री रवि सिंह	सामान्य	01.09.2023
4.	श्री हरि सिंह यादव	सामान्य	07.12.2023
5.	श्री ललित बिहारी व्यास	सामान्य	07.12.2023
6.	श्री रामजी लाल जाट	सामान्य	07.12.2023
7.	श्री आनन्द कुमार (ST)	अनु0 जनजाति	07.12.2023

उक्त नव पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात् कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सोविला माथुर)
शासन उप सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गृह रक्षा विभाग।
3. वरि० शासन उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सहायक, महानिरीक्षक पुलिस, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 5(420)डीपीसी/2025-26/575 दिनांक 11.11.2025 के क्रम में।
7. निजी सहायक, वरि० शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. संबंधित अधिकारीगण मार्फत निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव